मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर

वेद प्रकाश
रजिस्ट्रार जनरल

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रं0 1193/
जबलपुर, दिनांक 13/10/2014

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ..../
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
....

विषय : **'स्वच्छ भारत अभियान'** के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में, **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** का क्रियान्वयन ।

--0--

जैसा कि अवगत है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 145वीं जयंती (birth anniversary) के अवसर पर, स्वच्छ भारत के उनके स्वप्न को साकार करने के लिये, राष्ट्रीय स्तर पर 'स्वच्छ भारत महा–अभियान' प्रारंभ किया गया है।

इसी क्रम में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, के निर्देशानुसार, मध्यप्रदेश राज्य में, **'स्वच्छ भारत अभियान'** के अंतर्गत **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** गांधी जी की 150वीं जयंती (2 अक्टूबर, 2019) तक संचालित किया जाना समीचीन एवं उपयुक्त पाया गया है । **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'**, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित होगा।

इस संदर्भ में **'स्वच्छ न्यायालय अभियान – कार्य योजना 2014'** एतद् संलग्न प्रेषित है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस अभियान के प्रभावी एवं सतत् क्रियान्वयन में आपकी तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें सम्बद्ध अन्य सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।

अतः यथानिर्देशित, अनुरोध है कि **'स्वच्छ न्यायालय अभियान – कार्य योजना 2014'** के अनुसार कार्यवाही संपादित की जावे तथा स्वच्छता संबंधी क्रिया–कलापों के डिजिटल फोटोग्राफ्स सहित **'द्विमासिक प्रतिवेदन'** ई–मेल के माध्यम से उच्च न्यायालय को **ई–मेल आई.डी.** पर **cleancourts@mphc.in** नियमित रूप से प्रेषित कर, ई–मेल की प्रतिलिपि माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय को भी प्रेषित की जावे।

शुभकामनाओं सहित ।

भवदीय

13.10.14

(वेद प्रकाश)

'स्वच्छ न्यायालय अभियान'–'कार्य योजना 2014'

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के विचारों के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य में, **'स्वच्छ भारत अभियान'** के अंतर्गत **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** गांधी जी की 150वीं जयंती (2 अक्टूबर, 2019), तक संचालित किया जाना, समीचीन एवं उपयुक्त पाया गया है । **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित होगा । अभियान के प्रभावी एवं सतत् क्रियान्वयन हेतु **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** – **'कार्य योजना 2014'** निम्नानुसार है :–

- जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अभियान के क्रियान्वयन पर प्रशासनिक निगरानी रखेगें एवं जिला रजिस्ट्रार **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** का पर्यवेक्षण करेंगे ।

- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रत्येक जिला/ बाहरी स्थानों के न्यायालयों की स्वच्छता के कार्यों की देखभाल हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर सकेंगें ।

- **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** को उत्साह, जोश, गंभीरता के साथ वरीयता के आधार पर संचालित कर प्रभावी बनाने के लिये स्वच्छता कार्य में सभी कर्तव्यधारियों (duty holders) की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जावेगी, साथ ही पक्षकारों की सहभागिता हासिल करने का प्रयास किया जावेगा।

- **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** की विभिन्न गतिविधियों की ओर जन सामान्य में जागरूकता लाने हेतु, विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जायेगा ।

13.1.15.

..2..

- न्यायिक अधिकारियों, अभिभाषकों एवं न्यायालयीन कर्मचारियों को उनसे संबंधित स्थानों में विशेष सफाई अभियान चलाने के लिये प्रेरित किया जायेगा, जिससे कि समग्र न्यायालय परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके ।

- अभिलेखागार अनुभाग में, अभिलेखों के नियमानुसार विनष्टीकरण का कार्य प्रत्येक सप्ताह में एक दिन (यथासंभव शनिवार) को मिशन स्तर पर संपादित किया जायेगा ।

- पुस्तकालय में अनुपयोगी एवं पुरानी हो चुकी विधि पुस्तकों की नियमानुसार छटनी/व्ययन तथा पुराने विधि जर्नलों की जिल्दबंदी सुनिश्चित की जावेगी । ऐसी विधि पुस्तकों एवं जर्नलों, जिनकी पहचान असंभव हो चुकी हों, का नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा ।

- अनुपयोगी एवं अनुप्रयुक्त प्रारूप एवं लेखन सामग्री का नियमानुसार व्ययन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि उपयोगी सामग्री को रखने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो सके।

- मालखाना अनुभाग में निराकृत प्रकरणों से संबंधित सम्पत्तियों का शीघ्रता पूर्वक व्ययन सुनिश्चित किया जायेगा । मूल्यवान संपत्तियों का व्ययन नियमानुसार नीलामी आदि कार्यवाही संपादित कर किया जायेगा।

- जिला मुख्यालय एवं बाहरी स्थानों पर तथा लॉकअप (बंदीगृह) में पुरूष एवं महिला बंदियों हेतु पृथक-पृथक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के हरसंभव प्रयास किये जावेगें । आवश्यकतानुसार बजट प्रस्ताव तैयार कराकर भेजे जा सकेगें । शौचालयों एवं कूड़ादानों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जावेगी ।

17.10.

...3...

- बिजली /टेलीफोन /कम्प्यूटर के तारों के संबंध में आवरणयुक्त गुप्त प्रबंधन इस प्रकार किया जाये कि सफाई कार्य और स्वच्छता बनाये रखने में कोई व्यवधान न हो ।

- पत्राचार यथासंभव ई–मेल के माध्यम से किया जावे, ताकि कागज रहित (paper less) कार्यालयीन पत्राचार एवं ई–गवर्नेंश को बढ़ावा मिल सके ।

- जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कार्य योजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर 'द्विमासिक प्रतिवेदन', स्वच्छता संबंधी किया कलापों के डिजिटल फोटोग्राफ्स सहित ई–मेल के माध्यम से उच्च न्यायालय को ई–मेल आई0डी0 cleancourts@mphc.in पर नियमित रूप से प्रेषित करेंगे एवं माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय को भी ई–मेल की प्रतिलिपि प्रेषित करेंगे ।

- कार्य योजना को ओर अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये तथा सभी सम्बद्व लोगों की सकिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये, जिला व तहसील स्तर पर प्रत्येक न्यायालय परिसर में प्रवेश द्वार अथवा अन्य प्रधान (prominent) स्थान पर, **'स्वच्छ न्यायालय अभियान'** से संबंधित सुझाव एवं अभिमत हेतु एक पेटी लगायी जायेगी ।

-----00-----

13.10.14